

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(54)नविवि/3/2011 गार

जयपुर, दिनांक 11/5

आदेश

मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1) मंम/2009 दिनांक 28.04.11 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुनर्गठित एवं आदेश दिनांक 01.11.2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अनाधिकृत मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की सत्र बैठक दिनांक 12.02.2013 में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं -

1. दिनांक 17.06.99 के पश्चात् की आवासीय कॉलोनीयों के सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन की शक्तियों के सम्बन्ध में :-

मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 03.12.2012 के अनुसरण में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 6.12.2012 के अनुसार दिनांक 17.06.99 के पश्चात् की कॉलोनीयों के ऐसे प्रकरण जो दिनांक 02.05.2012 से पूर्व आवेदित हो चुके हैं एवं निकाय स्तर पर लब्धित हैं उनमें "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के शक्तियों निकाय स्तर पर मन्त्रि एम्पावर्ड समिति को प्रदान की गयी थी। तदुपरांत इसी विषय में समिति की बैठक दिनांक 25.12.2012 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 के अनुसार यह निर्देश दिये गये थे कि अनुमोदित योजनाएं, जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्माण हो चुका है, में सुविधा क्षेत्र एवं सड़कों को यथावत् रखते हुए ले-आउट प्लान नगर निकाय स्तर पर संशोधित किये जा सकेंगे।

उपरोक्त आदेश दिनांक 6.12.2012 एवं दिनांक 29.12.2012 में आंशिक संशोधन करने हेतु दिनांक 12.02.2013 को मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दिनांक 17.06.99 के पश्चात् की स्थानीय निकाय की सीमा में स्थित आवासीय कॉलोनीयों, जिनमें योजना के कुल भूखण्डों की संख्या के 10 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण हो चुका हो, उनमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए दिनांक 17.06.99 के पश्चात् की स्थानीय स्तर गठित एम्पावर्ड समिति को अभियान अवधि के दौरान प्रत्यक्ष की जाती है।

2. दिनांक 17.06.1999 के बाद की बसी आवासीय कॉलोनीयों में सड़क व सुविधा क्षेत्र के अनुपात के संबंध में :-

मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 03.12.2012 के अनुसरण में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 6.12.2012 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार दिनांक 17.6.1999 के पश्चात् लेकिन दिनांक 02.05.2012 के पूर्व कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से विकसित हुई आवासीय कॉलोनीयों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान नगर निकायों को निम्न शर्तों के साथ आवासीय क्षेत्र व सड़क/सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70:30 में ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने की अनुमति दी गई थी :-

1. नियमन हेतु दिनांक 02.05.2012 से पूर्व सन्बन्धित नगरीय निकाय में आवेदन किया गया हो.
2. यदि 5.2.2012 से पूर्व कॉलोनिनों में आंशिक रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्माण हो चुका हो या कॉलोनिनों में सड़कों, नालियों, बिजली आदि के विकास कार्य हो चुके हों.
3. आन्तरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट एवं सुविधा क्षेत्र न्यूनतम योजना क्षेत्र का 5 प्रतिशत उपलब्ध हो, और
4. यदि गौके पर 30 फीट से कम चौड़ी सड़क उपलब्ध है तो ले-आउट प्लान/साईट प्लान में सड़क की चौड़ाई 30 फीट अंकित करते हुए शेष भूमि का नियमन किया जावेगा और सड़क सीमा में आये हुए निर्माण यदि कोई हो तो उसे स्वयं हटाने एवं भविष्य में सड़क की भूमि पर निर्माण नहीं करने के लिए आवेदक मुखण्डधारी से परिवचन (Undertaking) ली जावे।

विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावरर्ड समिति की बैठक दिनांक 12.02.2013 के निर्णयों के अनुसरण में इस विषय में प्रसारित उपरोक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 6.12.2012 में आंशिक संशोधन करते निम्नांकित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

"दिनांक 17.08.99 के पश्चात् लेकिन दिनांक 02.05.2012 के पूर्व कृषि भूमि पर विकसित हुयी आवासीय कॉलोनिनों में आवासीय क्षेत्र 70 प्रतिशत तथा सड़क व सुविधाओं का क्षेत्र 30 प्रतिशत रखते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जा सकेगा। जिन प्रकल्पों में सड़कों का क्षेत्रफल 30 प्रतिशत है उनमें सुविधाओं हेतु अलग से 5 प्रतिशत भूमि छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सड़कों का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत से कम होने पर समानुपात में सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि समर्पित करनी होगी। उदाहरणार्थ, यदि योजना क्षेत्र का 25 प्रतिशत भाग सड़क में है तो सुविधा क्षेत्र में 5 प्रतिशत होना आवश्यक है और यदि सड़क में कुल योजना क्षेत्र का 28 प्रतिशत भाग आता है तो सुविधा क्षेत्र 2 प्रतिशत होना आवश्यक होगा। ले-आउट अनुमोदन की शेष शर्त दिनांक 02.12.2012 के अंगणित मंत्रिमण्डलीय एम्पावरर्ड समिति की बैठक में लिये गये निर्णय और समसंख्यक आदेश दिनांक 6.12.2012 के अनुरूप होगी।"

3. दिनांक 17.08.99 के पश्चात् की आवासीय कॉलोनिनों के सख्तन में स्व-प्रेरण सिद्धांतों के निर्माण की कार्यवाही- अप्रजोक्त दस्तावेजों के आधार पर उच्चाधिकारिणीय हुए मुखण्डों के संबंध में विहित की गयी प्रक्रिया के संबंध में

मंत्रिमण्डलीय एम्पावरर्ड समिति की बैठक दिनांक 03.12.2012 तथा दिनांक 26.12.2012 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 के अनुसार दिनांक 17.08.99 के पश्चात् की कॉलोनिनों के ऐसे प्रकरणों जिसमें खातोदार या कम्पले ट्रांसफर्रे द्वारा कृषि भूमि रुपान्तरण के लिये आवेदन नहीं किया जाता है उनके मुखण्डों के नियमन के संबंध में निम्नानुसार शास्त्रिक विहित की गयी थी :-

(392)

117  
"(अ) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण मूल खातेदार से पंजीकृत विक्रयनामा के जरिये हुआ है तो शास्ति की राशि प्रीमियम राशि के 20 प्रतिशत राशि के समान होगी।

(ब) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् किन्तु दिनांक 30.09.2012 से पूर्व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हुआ है तो अन्तिम कंटा से वर्तमान जी.एल.सी दर पर देय स्टाम्प ड्यूटी तथा इस देय राशि का 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में वसूलनीय होगी।"

विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 12.02.2013 के निर्णय के अनुसरण में इस विषय में समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 में विहित की गई शास्ति में संशोधन किया जाकर शास्ति की राशि अब निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :-

"(अ) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण मूल खातेदार से पंजीकृत विक्रयनामा के जरिये हुआ है तो शास्ति की राशि प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत राशि के समान होगी।

(ब) यदि भूखण्ड का हस्तान्तरण दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् किन्तु दिनांक 30.09.2012 से पूर्व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हुआ है तो अन्तिम कंटा से वर्तमान जी.एल.सी दर पर देय स्टाम्प ड्यूटी के समान राशि शास्ति के रूप में वसूलनीय होगी।"

इस विषय में अब आते विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 के अनुसार यथावत रहेंगे।

4. सिवायचक, अवाप्तशुदा एवं अन्य राजकीय भूमि पर नियमन किये जाने पर लीज राशि के संबंध में :-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.3(50)नवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा राजकीय भूमि (सिवाय चक, अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन के लिये (समस्त सिविल प्राधिकरण क्षेत्र की लालकंठी योजना, जवाहर गाँव नैडक मार्ग, के बायी ओर - 200 फीट चौड़ी पट्टी के भीतर एवं पुष्पासुर नगर योजना को छोड़कर) देय दर निर्धारित की गयी थी जिन्हें प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान कुछ मामलों में संशोधित भी किया गया है।

राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा, सिवायचक एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन किये जाने पर भूखण्ड के लिए लीज राशि राजस्थान सुधार न्यास (शहरों भूमि का निष्पादन) नियम-1973 के नियम 7 के अनुसार आरक्षित दर के आधार पर वसूल की जाती है। जबकि आरक्षित दर उक्त नियमन दर से बहुत ज्यादा होने से भूखण्डधारियों को आर्थिक भार उठाना पड़ता है और इससे नियमन किये जाने में कठिनाई आ रही है।

विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 12.02.2013 में इस विषय में लिए गए निर्णयानुसार यह आदेश दिए जाते हैं कि राजकीय भूमि पर बेसी कॉलोनियों के नियमन के मामलों में लीज राशि आरक्षित दर के बजाय वास्तविक नियमन/आवंटन की दर के आधार पर ली जायेगी।

यह निर्णय स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।

(393)

- 715
5. दिनांक 17.06.99 से पूर्व विकसित हुयी आवासीय कॉलोनियों जिनके ले-आउट प्लान अब अनुमोदित हो रहे हैं में सैक्टर रोड में संशोधन बाबत

दिनांक 17.06.99 से पूर्व विकसित हुयी आवासीय कॉलोनियों के ले-आउट प्लान अब तैयार किये गये हैं, उनमें मौके पर मास्टर प्लान एवं सैक्टर प्लान के अनुसार सैक्टर रोड निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकसित किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि मौके पर आवासीय निर्माण हो चुके हैं। मंत्रिमण्डलीय सम्पावर्ड समिति द्वारा दिनांक 25.12.2012 में लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 17.06.99 से पूर्व की आवासीय कॉलोनियों के अनुमोदित ले-आउट प्लान में सैक्टर रोड में संशोधन करने बाबत अनुमति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में जिन कॉलोनियों के ले-आउट प्लान तैयार किये गये हैं और मास्टर प्लान एवं सैक्टर प्लान के अनुसार सैक्टर रोड मौके पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकसित नहीं की जा सकती हैं। मौके के अनुसार सड़क की जो चौड़ाई उपलब्ध है उसी के अनुरूप सड़क की चौड़ाई निर्धारित करते हुए दिनांक 17.06.99 से पूर्व अस्तित्व में आयी गैर अनुमोदित योजना, जिनके ले-आउट प्लान अब तैयार किये जा रहे या किये गये हैं तथा अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं, उनमें भी मास्टर प्लान एवं सैक्टर प्लान की सड़कों की बाध्यता लागू नहीं की जानी चाहिए। ऐसे प्रकरणों में भी सैक्टर रोड के संशोधन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव मंत्रिमण्डलीय सम्पावर्ड समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

इस विषय में समिति की बैठक दिनांक 12.02.2013 को लिए गए निर्णय के अनुसरण में यह आदेश दिये जाते हैं कि मौके के अनुसार सड़क की जो चौड़ाई उपलब्ध है उसी के अनुरूप सड़क की चौड़ाई निर्धारित करते हुए दिनांक 17.06.99 से पूर्व अस्तित्व में आयी गैर अनुमोदित योजना, जिनके ले-आउट प्लान अब तैयार किये जा रहे हैं या किये गये हैं तथा अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं, उनमें भी सैक्टर प्लान की सड़कों की बाध्यता लागू नहीं की जावे। इस प्रकार के ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु अभियान आवासीय विकास प्राधिकरण की जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण की जंजालखोरी एवं अन्य न्यासी एवं स्थानीय निकायों के लिए सम्पावर्ड कमेटी अधिकृत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(गुरदयाल सिंह संधु)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ.3(54)नविधि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक

11/5/2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशेष सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग/उद्योग/ऊर्जा/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशेष सचिव, माननीय राज्य मंत्री, गृह एवं यातायात, राजस्थान सरकार।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन-विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त अधिकारी गण, नगरीय विकास विभाग।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उपरोक्त आदेश संबंधित स्थानीय निकायों को प्रेषित किए जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाने हेतु।
13. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त, महानगर, नगर निगम/समस्त, सभापति, नगर परिषद/समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका राजस्थान।
15. समस्त अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
16. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/समस्त आयुक्त, नगर परिषद/समस्त अधिराष्ट्रीय अधिकारी, नगरपालिका राजस्थान।
18. रक्षित पत्रावली।

(आदेशकारी)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

(395)